मिनट्स ऑफ़ दी मीटिंग

सच्चर समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार कार्यवाही नियोजन के लिए एक मीटिंग 10.7.2008 को आर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया के महानिदेशक के चैम्बर में आयोजित हुई। निम्नलिखित अधिकारी इस मीटिंग में उपस्थित हुए।

<u>आर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया</u>

(1) डा. बी. आर. मानी, सह महानिदेशक
(2) श्री ए. के. सिंहा, सुपरिन्टेंडिंग ऑर्कियॉलोजिस्ट
(3) डा. ए. आर. सिद्दीक़ी, अपर सुपरिन्टेंडिंग आर्कियॉलोजिस्ट

<u>सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल</u>

(1) डा. एम. आर. हक़, सचिव सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल
(2) श्री जी. यू. इस्लाम, विकास अधिकारी सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल

1. सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव ने बताया कि मीटिंग का निमंत्रण गत दिवस 9.7.08 को प्राप्त हुआ। इस के बावजूद मीटिंग के महत्तव को देखते हुए उन्होंने स्वंय ही इस मीटिंग में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्हें आश्वस्त किया गया कि भविष्य में मीटिंग का नोटिस पर्याप्त समय पहले भेजने का ध्यान रखा जाएगा।
2. सह महानिदेशक (एम) ने मीटिंग का उद्देश्य बताया और आर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया के नियंत्रण में वक़्फ़ सम्पत्तियों की सूची के साथ एजेण्डा पत्र सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव को प्रस्तुत किए गए। सचिव सेण्ट्रल

वक़्फ़ काउंसिल ने आश्वासन दिया कि वह इस नोट और सूची का अध्यन करेंगे और उसके अनुसार जवाब देंगे। हालांकि सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव की भावना थी कि सूची अपूर्ण है। सह महानिदेशक (एम) ने सहमति जताई कि सम्भव है कि सूची में से कुछ सम्पत्तियां छूट गयी हों, अतः आगे से अपडेटेड सूची प्रस्तुत की जाएगी।

3. सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव ने वक़्फ़ अधिनियम 1995 तथा सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सम्बंध में जानकारी दी। उन्होंने संसद द्वारा पारित एन्सिएण्ट मॉनूमेण्ट्स एण्ड ऑर्कियॉलोजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स (AMASR) अधिनियम 1958 तथा वक़्फ़ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को समकालिक बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया को एतिहासिक महत्तव वाले धरोहरों की सुरक्षा एंव देखभाल का क़ानूनी अधिकार है और यह उसका कर्तव्य है। लेकिन सुरक्षा अथवा प्रबंधन या कहा जाए कि संरक्षण करने का अधिकार वक़्फ़ सम्पत्तियों के वक़्फ़ होने की हैसियत को नहीं बदल सकता। क्यूंकि वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत एसी चल व अचल सम्पत्ति जो धार्मिक, पवित्र तथा समाज सेवा के उद्देश्य से स्थायी रूप से समर्पित की गयी हो वक़्फ़ है जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले यह निर्णय दिया था एक बार किया गया कोई वक़्फ़ हमेशा के लिए वक़्फ़ है। इस लिए कोई मस्जिद या दरगाह आर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया के संरक्षण और देखभाल में होने के बावजूद वक़्फ़ ही रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एसे मामलों में आर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया को सम्बंधित वक़्फ़ बोर्ड के साथ सहमति बनानी चाहिए।

वक़्फ़ काउंसिल के सचिव ने आगे इस बात की व्याख्या की कि AMASR Act, 1958 में ए.एस.आई तथा स्वामी के बीच सहमति (समझौते) का प्रावधान है। लेकिन प्राचीन मस्जिदों अथवा अन्य वक़्फ़ सम्पत्तियों, विशेषकर स्तेमाल में चली आ रही सम्पत्तियों को ए.एस.आई एबन्डन्ड प्रापर्टी के रूप मे बरतता है। ज़्यादातर मामलों में स्वामी तथा ए.एस.आई के बीच कोई समझौता नहीं है जिसकी वजह से दावा और जवाबी दावा के सिलसिला शुरू हो जाता है। मुस्लिम समुदाय की चिंता का कारण यह है कि ए.एस.आई वक़्फ़ सम्पत्तियों की न तो ठीक से देखभाल करता है और न धार्मिक स्थानों की पवित्रता को बनाए रखता है। कठिनाई यह है कि एतिहासिक महत्तव वाली यह वक़्फ़ सम्पत्तियां न तो उचित सुरक्षा एंव देखभाल के बिना छोडी जा सकती हैं और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति दी जा सकती है। ए. एस. आई. के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकारा कि कभी कभी लोग बिना सोचे समझे धार्मिक स्थानों के अन्दर जूतों सहित प्रवेश कर जाते हैं और एसे कृत्य करते हैं जिन से धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती है। अतः इस बात पर सहमति हुई कि संरक्षित घोषित की गयी वक़्फ़ सम्पत्तियों की सुरक्षा बढ़ाकर उनकी ज़रूरी देखभाल का ध्यान रखा जाएगा। इस सम्बंध में ए. एस. आई. प्रवेश द्वारों पर इस तरह के संकेतक लगवा सकता है कि (i) परिसर में जूतों सहित जाने की अनुमति नहीं है (ii) शराब पीना और कार्ड खेलना मना है। तथा (iii) यह कि परिसर के अन्दर किसी अश्लील कृत्य की अनुमति नहीं है।

4. से ण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव ने काउंसिल द्वारा पारित प्रस्तावों की जानकारी दी तथा राज्य वक़्फ़ बोर्डों को संरक्षित धरोहरों की सुरक्षा के लिए भेजी गयी सलाह से अवगत कराया इनमें वह धरोहर भी शामिल हें जो

ए.एस.आई या किसी अन्य एजेण्सी के अन्तर्गत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारियों को भी एसी इमारतों की देखभाल के सिद्धांतों की सीख देने तथा उनके प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इस के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य वक़्फ़ बोर्डों के सी.ई.ओज़ की एक मीटिंग ए.एस.आई द्वारा आयोजित की जा सकती है जिसमें संरक्षण या देखभाल के उद्देश्य, सिद्धांतों और तरीक़ों की जानकारी उन्हें दी जाए। इस परिचर्चा से ए.एस.आई तथा राज्य वक़्फ़ बोर्डों को एक दूसरे की समस्याएं समझने में मदद मिलेगी जो एतिहासिक महतत्व के धरोहरों की देखभाल के लिए लाभदायक होगी।

5. आ
र्कियॉलोजिकल सर्वे आफ़ इण्डिया के सह महानिदेशक ने बताया कि जनता की मांग पर किसी भी संरक्षित धरोहर में किसी एसे बदलाव की अनुमति आर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया की तरफ़ से नहीं है जो उस यादगार को नवीन रुप देदे या जिससे उसकी वास्तविक अवस्था में कोई बदलाव आ जाए। उन्होंने धरोहरों की कंज़र्वेशन पॉलिसी की संक्षिप्त जानकारी दी और धरोहरों की देखभाल तथा उन्हें बनाए रखने में आर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया की भूमिका के बारे में बताया। सह महानिदेशक (एम) ने बताया कि केन्द्रीय स्तर पर संरक्षित की गयी वक़्फ़ सम्पत्तियों की बहतर देखभाल के लिए आर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया के सर्किलों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त फ़ण्ड और समय समय पर दिशा निर्देश उपलब्ध कराए जाते हैं।

6. व
क़्फ़ काउंसिल के सचिव ने यह सुझाव भी दिया कि ए.एस.आई अपने राज्य स्तर के अधिकारियों को यह निर्देश दे कि वह राज्य वक़्फ़ बोर्डों के साथ

ए.एस.आई के अन्तर्गत वक़्फ़ सम्पत्तियों तथा वक़्फ़ बोर्ड के नियंत्रण वाले एतिहासिक स्थानों की देखभाल तथा उन्हें बनाए रखने के सम्बंध में समय समय पर मीटिंग आयोजित किया करें।

7. सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट (एम) ने जानकारी दी कि केन्द्र द्वारा संरक्षित की गयी वक़्फ़ की मिल्कियत वाली यादगारों की देखभाल पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। उन्होंने जताया कि जब वह दिल्ली सर्किल के सुपरिन्टेंडिंग आर्कियॉलोजिस्ट थे तो उन्होंने ए.एस.आई. द्वारा नियंत्रित वक़्फ़ की मिल्कियत वाले धरोहरों की रोज़मर्रा देखभाल का जायज़ा लेते रहने के लिए दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारियों से अनुरोध किया था। सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव ने इस बात की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि यह काम सभी राज्य स्तर के अधिकारियों को करना चाहिए।

8. उप सुपरिन्टेंडिंग आर्कियॉलोज़िस्ट (एम) के इस सवाल पर कि संरक्षित धरोहरों की सुरक्षा के लिए सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल किस तरह सहायक हो सकती है, सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव ने कहा कि ए.एस.आई तथा सी.डब्ल्यू.सी. मीटिंगों तथा परिचर्चाओं के द्वारा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें क्यूंकि दोनों का संयुक्त उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए धरोहरों की असलियत को बनाए रखना है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ यह मीटिंग समाप्त हुई।

<u>आर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया तथा सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल व अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के पदाधिकारियों की मीटिंग का ब्यौरा जो कि 19.12. 2008 को 11:30 बजे आयोजित हुई।</u>

19. 12. 2008 को आर्कियॉलोजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया के कान्फ़्रेंस हॉल, जनपथ, नई दिल्ली मे सच्चर समिति की सिफ़ारिशों पर कार्यवाही की बाबत एक मीटिंग आयोजित हुई। निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया।

<u>आर्कियॉलोजिक सर्वे ऑफ़ इण्डिया</u>

श्रीमति अंशु वैश, महनिदेशक
श्री विजय एस मदान, अतिरिक्त महानिदेशक
श्री बी. आर. माणि, सह महानिदेशक (एम)
श्री सी. डोरजी, निदेशक (एम)

श्री ए. के. सिंहा, सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट (एम)

श्री. वी. बख़्शी, सहायक निदेशक (एम)

श्री डी. एन. डीमरी, सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट, आगरा सर्किल

श्री जितेन्द्र नाथ, उप सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट, वदोदरा सर्किल

श्री. एस. एन. केसरवाणी, सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट, चण्डीगढ़ सर्किल

श्री आर. कृष्णिया, सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट, श्रीनगर सर्किल

डा. एस. के. शर्मा, उप सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट, जयपुर सर्किल

श्री. सी. बी. पाटिल, उप सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट, बैंगलोर सर्किल

श्री. मुहम्मद के. के. सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट, दिल्ली सर्किल

<u>सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल</u>

डा. एम. आर. हक़, सचिव सी डब्ल्यू सी

जस्टिस नसीमुद्दीन

श्री शकील अहमद सय्यद

<u>दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड</u>

श्री अल्लाह नूर

मुहम्मद आरिफ़

<u>अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी</u>

श्री हाजी मुहम्मद

श्री इनायत खां

श्री रईस मुंशी

1. प्रारम्भ में ही डा. हक़ सचिव सी. डब्ल्यू. सी. ने सुन्नी वक़्फ़ कमेटी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई। उनके अनुसार केवल वक़्फ़ बोर्ड के प्रतिनिधियों को ही एसी मीटिंगों में उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी की वेधता पर सवाल उठाया। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अहमदाबाद की वक़्फ़ सम्पत्तियों के सम्बंध में ए.एस.आई के सम्पर्क में रहते हैं और यह प्रक्रिया लाभदायक सिद्ध हुई है।

तथापि, सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव डा. हक़ ने इस पर ज़ोर दिया कि केवल राज्य वक़्फ़ बोर्ड को ही एसी मीटिंगों में आमन्त्रित करना चाहिए। ए. एस. आई. महानिदेशक ने उन्हें आश्वस्त किया कि अगली मीटिंग में गुजरात वक़्फ़ बोर्ड को भी आमन्त्रित किया जाएगा।

2. ए. एस.आई के सह महानिदेशक ने जानकारी दी कि सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल ने दिल्ली में 172 वक़्फ़ सम्पत्तियों तथा गुजरात में 89 वक़्फ़ सम्पत्तियों की सूची दी थी। इसका सत्यापन करने पर पता चला कि दिल्ली की 172 सम्पत्तियों में से राष्ट्रीय महत्तव के 94 धरोहर केन्द्र द्वारा संरक्षित हैं और बाक़ी 78 असंरक्षित हैं। गुजरात की 89 सम्पत्तियों में 24 सम्पत्तियां केन्द्र द्वारा संरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के साथ भौतिक सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि ए. एस. आई ने सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के साथ सम्पर्क बनाए रखने के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त कर दिया है तथा राज्य वक़्फ़ बोर्डों के साथ सम्पर्क में रहने के लिए

सम्बंधित सर्किलों के सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट को ज़िम्मेदारी दी गयी है।

उन्होंने आगे बताया कि सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्टों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र से सम्बंधित वक़्फ़ बोर्डो के साथ नियत मीटिंगें आयोजित करते रहें और केन्द्र द्वारा संरक्षित की गयी वक़्फ़ सम्पत्तियों की सुरक्षा स्थिति का आकलन करते रहें।

3. दिल्ली सर्किल के सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट ने बताया कि 172 वक़्फ़ सम्पत्तियों में 32 का सर्वे पूरा हो चुका है। इनमें से 8 या 9 की duplicate entry पायी गयी। कुछ मामलों में वक़्फ़ सम्पत्ति का नाम उससे अलग है जिस नाम से वह संरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वे की प्रक्रिया जनवरी 2009 के दूसरे सप्ताह तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

वदोदरा सर्किल के उप सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट ने बताया कि सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल ने गुजरात वक़्फ़ बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी 89 वक़्फ़ सम्पत्तियों की सूची प्रेषित की थी। इन में से 24 धरोहर केन्द्र द्वारा संरक्षित नहीं किए गए हैं। सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के सचिव ने आठ एसे धरोहरों की सूची दी थी जो उसके प्रबंधन में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बॉम्बे प्रेसीडेंसी द्वारा प्रकाशित संरक्षित धरोहरों की सूची के अनुसार केवल दो धरोहर वक़्फ़ मिल्कियत हैं (मुहाफ़िज़ ख़ां मस्जिद, अहमदाबाद तथा जामी मस्जिद अहमदाबाद). एस. ए. वदोदरा सर्किल को निर्देश दिया गया कि गुजरात वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारियों के साथ सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची के आधार पर वक़्फ़ सम्पत्तियों का एक संयुक्त सर्वे करें।

4. सी. डब्ल्यू. सी. के सचिव ने गुजरात में केन्द्र द्वारा संरक्षित धरोहरों की संख्या जानने की इच्छा जताई। बताया गया कि उपयुक्त जांच के बिना यह संख्या बताना कठिन है। यह भी स्पष्ट किया गया कि केन्द्र द्वारा संरक्षित की गयी केवल उन मस्जिदों में नमाज़ की अनुमति है जहां राष्ट्रीय महत्तव का धरोहर घोषित किए जाने के समय नमाज़ होती थी। AMASR अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार की नीति के अनुसार इबादत (नमाज़) को फिर से शुरू किए जाने की अनुमति नहीं है।

5. आईटम न. 3, गुजरात तथा दिल्ली में सम्बंधित वक़्फ़ बोर्डों के अधिकारियों के साथ सेण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची के आधार पर संयुक्त सर्वे के सम्बंध में महानिदेशक ए.एस.आई. ने राय दी कि सम्बंधित सर्किलों द्वारा यह सर्वे ए.एस.आई. के पास मौजूद रैवन्यू रिकॉर्डस तथा सम्पत्तियों के प्रोटेक्शन स्टेटस के आधार पर हो। इस बात पर सहमति हुई कि ए.एस.आई. केवल उन सम्पत्तियों का सर्वे करेगा जो AMASR अधिनियम 1958 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महतत्व की घोषित की गयी हैं।

6. निदेशक (एम) ने जानकारी दी कि आगरा, श्रीनगर, वदोदरा, बैंगलौर तथा लखनऊ सर्किलों के सुपरिन्टेण्डिंग आर्कियॉलोजिस्ट राज्य वक़्फ़ बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ पहले ही मीटिंगें कर चुके हैं। सी. डब्ल्यू सी. के सचिव ने सलाह दी कि आगरा सर्किल के एस. ए. उत्तर प्रदेश शिया वक़्फ़ बोर्ड के साथ भी मीटिंग आयोजित करें।

ए.एस.आई. महानिदेशक ने इच्छा जताई कि पटना सर्किल को भी राज्य वक़्फ़ बोर्ड के साथ एसी ही मीटिंगों के लिए निर्देश दिया जाए।

चण्डीगढ़ के एस. ए. ने बताया कि 22 अप्रेल और 08 व 19 सितम्बर 08 को राज्य वक़्फ़ बोर्ड को संयुक्त मीटिंग के लिए पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब इसका प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें महानिदेशक ए.एस.आई. ने निर्देश दिया कि इस पत्राचार की नक़ल सी. डब्ल्यू. सी. को भेजी जाए।

जयपुर के एस. ए. ने भी बताया कि राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड को मीटिंग के लिए दो बार पत्र भेजे गए लेकिन अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

7. ए
स. ए. श्रीनगर ने बताया कि राज्य वक़्फ़ बोर्ड के साथ उनकी मीटिंगें आयोजित हो रही हैं। सी. डब्ल्यू सी. के सचिव ने बताया कि जम्मू एण्ड कशमीर बोर्ड वक़्फ़ अधिनियम 1995 के दायरे में नहीं आता।

8. अ
हमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी ने मुद्दा उठाया कि सीढ़ी सय्यद मस्जिद की मरम्मत तथा निगरानी के प्रबंध अहम मुद्दे हैं। अहमदाबाद सुन्नी वक़्फ़ कमेटी ने कमेटी की प्रोफ़ाइल भी पेश की. उप एस.ए. वदोदरा न जानकारी दी कि सीढ़ी सय्यद मस्जिद की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय स्तर पर भी मीटिंग आयोजित की जाएगी तथा निगरानी पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कमेटी के अनुरोध पर जामा मस्जिद की सुरक्षा को देखते हुए उस पर सीसी टीवी लगाने की अनुमित दे दी गयी है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ यह मीटिंग समाप्त हुई।